

230(क) लेख— आंदोलन अन्ना हजारे, एक समीक्षा

230 (ख) लेख संसद की अवमानना का उपयोग या दुरुपयोग

230 (ग) प्रश्न सुशासन की मौलिक समस्या का समाधान — भरत झुनझुन वाला

230 (घ) आचार्य पंकज, अध्यक्ष व्यवस्था परिवर्तन मंच, रिषिकेश उत्तराखंड

230 (च) प्रश्न— श्री जगदीश गांधी , सिटी मोन्टेसरी स्कूल लखनऊ उत्तर प्रदेश

230 (छ) प्रश्न— श्री बाल कृष्ण पिल्लै , तिरुअन्नतपुरम , केरल

230 (ज) प्रश्न— श्री चिन्मय व्यास , मालदेवता , देहरादून उत्तरांचल

230 (झ) उत्तरांचल

## आंदोलन अन्ना हजारे, एक समीक्षा

हम आप जिस आंदोलन को अन्ना का आंदोलन कहते रहे हैं वह अन्ना का आंदोलन न होकर लोक और तंत्र के बीच अधिकारों के पुनर्विभाजन का आंदोलन है। प्रारंभ में यह आंदोलन भ्रष्टाचार निवारण का एक छदम मुखौटा लेकर मैदान में आया किन्तु प्रथम चरण पूरा हाते ही इसका वह मुखौटा उतर गया और अब अन्ना का आंदोलन अपने वास्तविक स्वरूप की दिशा में बढ़ने लगा है।

भागीरथ ने गंगा अवतरण के लिये तप किया। गंगा का अवतरण शंकर की जटाओं तक हुआ और वहाँ से गंगा साकार होकर पृथ्वी तक आई। इस लोकतंत्र के लिये गांधी के नेतृत्व में भारत की जनता ने लम्बा संघर्ष किया। सन् सैंतालीस में लोकतंत्र रूपी गंगा विदेशी गुलामी से मुक्त हुई तथा भारतीय संविधान तक आई। किन्तु हमारे लोकतांत्रिक शंकर की नीयत खराब हो गई। उन्होंने संविधान को अपने स्तर तक समेट कर रोक लिया। संसद ने लोक तंत्र की परिभाषा ही बदल दी। उसे कभी लोक नियंत्रित तंत्र बनने ही नहीं दिया। वह तो लोक नियुक्त पर आकर रुक गई। हमारी वर्तमान संसदीय प्रणाली ने संवैधानिक प्रणाली का दो तरफा दुरुपयोग

किया। उसने अपने एक हाथ में तो संविधान को इस प्रकार रखा कि वह उसके लिये ढाल की तरह बचाव करता रहे तो दूसरी तरफ वह दूसरे हाथ की मुठी में इस प्रकार बंद रहे कि वह संसद की मर्जी के बिना हिल डुल भी न सके। अब भागीरथ रूपी अन्ना ने शंकर रूपी संसद के हाथों संविधान रूपी गंगा को मुक्त कराने का अभियान प्रारंभ किया है।

इसके पूर्व भी इस अभियान के नाम पर कई प्रयास हुए। पहला प्रयास जय प्रकाश जी का हुआ जो लगभग असफल रहा। जय प्रकाश जी के आंदोलन की अपेक्षा अन्ना का आंदोलन कई गुना बड़ा था, स्पष्ट था और सफलता की ओर बढ़ा। अब तक मैं जे. पी. आंदोलन को ही सर्वोच्च प्रयत्न मानता था किन्तु अन्ना के आंदोलन के समक्ष जे. पी. आंदोलन बिल्कुल ही बौना दिखने लगा है। बहुत अन्तर है दोनों के बीच। जे. पी. का आंदोलन प्रारंभ हुआ व्यवस्था परिवर्तन जैसे बड़े लक्ष्य से किन्तु पहुँच गया सत्ता परिवर्तन तक। जे.पी. आंदोलन सत्ता से बाहर के नेताओं को जोड़कर बनाया गया एक आंदोलन था जिसके मुखिया जय प्रकाश थे। किन्तु अन्ना का आंदोलन शुरू हुआ भ्रष्टाचार नियंत्रण जैसे छोटे लक्ष्य से तथा बढ़ रहा है व्यवस्था परिवर्तन की ओर। इस आंदोलन से कोई संगठन संबद्ध नहीं जिससे सलाह लेना अन्ना की मजबूरी हो। जे.पी. आंदोलन में अनेक संगठन सहभागी थे। अन्ना आंदोलन में अन्ना के अतिरिक्त अन्य कोई व्यक्ति या संगठन सहभागी नहीं। कुछ लोग आंदोलन के समर्थन तक सीमित हैं तो कुछ सहयोग तक।

दूसरा अन्तर यह है कि जय प्रकाश आंदोलन के समय भारत की राजनैतिक व्यवस्था एक तानाशाह प्रवृत्ति के मजबूत प्रधानमंत्री के हाथ में थी। अन्ना आंदोलन के समय राजनैतिक व्यवस्था एक अपेक्षा कृत लोक तांत्रिक तथा कमजोर प्रधानमंत्री के हाथ में है। यदि इस समय भारत के प्रधान मंत्री मनमोहनसिंह की जगह नरेन्द्र मोदी अथवा चिदम्बर सरीखा कोई होता तो इतनी आसानी नहीं होती।

जे.पी. के बाद हल्का प्रयास विश्वप्रताप सिंह का माना जाता है किन्तु विश्वनाथ प्रताप सिंह इमानदार और चरित्रवान होते हुए भी सस्ता मोह में इस सीमा तक डूबे हुए थे कि उनके प्रयत्न की इस आंदोलन से तुलना करना ही व्यर्थ है। रामदेव जो के प्रयत्न को तो किसी आंदोलन की सीमा में शामिल करना भी व्यर्थ है। उसका अस्पष्ट लक्ष्य था, अनुभव हीन नेतृत्व था, तथा योजना का अभाव था। उसके बाद यह आंदोलन अन्ना शुरू हुआ। इस आंदोलन को आजादी की दूसरी लड़ाई भी कहा जाय तो कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी।

इस लड़ाई में सबसे ज्यादा अस्पष्ट भूमिका रही भारतीय जनता पार्टी की। पूरे आंदोलन काल में ऐसा कभी नहीं हुआ जब वह आंदोलन के पक्ष अथवा विपक्ष में स्पष्ट दिखी हो। ऐसा भी नहीं कि वह निष्पक्ष होकर इस खेल से बाहर हो। भारतीय जनता पार्टी लगातार इस प्रयत्न में रही कि इस पूरे संघर्ष में उसका कोई राजनैतिक लाभ हो। चाहे अन्ना सफल हों या असफल इससे उसका कभी कोई मतलब नहीं रहा। जब भी अन्ना का पक्ष कमजोर होता था तो तत्काल वह सरकार के विरुद्ध बोलने लगती थी और अन्ना का पक्ष मजबूत होते ही वह सरकार के पक्ष में खड़ी हो जाती थी। गिरगिट की तरह इतनी जल्दी भाजपा या उसके प्रवक्ता रंग बदल लेते थे कि उसके विषय में कोई स्पष्ट टिप्पणी ही करना संभव नहीं। सर्व दलीय बैठक के पूर्व कांग्रेस पूरी तरह समर्पण के पक्ष में थी। तत्काल भाजपा ने कांग्रेस को हिम्मत दी। कांग्रेस का अन्ना के प्रति व्यवहार कड़ा हुआ तो भाजपा ने फिर से अन्ना के सुर में सुर मिला लिया। यहाँ तक कि सताइस तारीख की दोपहर तक कांग्रेस प्रस्ताव पारित करने के पक्ष में थी तो भाजपा ने धीरे से कांग्रेस को मतदान न कराने की बात कह दी। जब कांग्रेस ने प्रस्ताव टाल दिया तो भाजपा ने खुलकर अन्ना के पक्ष में घोषणा करनी शुरू कर दी।

जेडीयू का नीतिश कुमार गुट शुरू से ही अन्ना आंदोलन के पक्ष में था और शरद यादव गुट बिल्कुल खिलाफ। नीतिश कुमार खुलकर बोलते नहीं थे किन्तु चुपचाप समर्थक थे। शरद यादव ने संसद में जा भाषण दिया वह बहुत जहरीला था। उन्होंने सांसदों

को संसद सर्वोच्च के नाम पर भड़काने की भरपूर कोशिश की तो साथ ही आदिवासी हरिजन महिला के नाम पर भी पेच लगाने में कोई कसर नहीं छोड़ी।

कांग्रेस पार्टी का हर सांसद अन्ना आंदोलन के खिलाफ था किन्तु दलीय रणनीति अलग-अलग थी। कपिल सिब्बल, गृहमंत्री चिदम्बरम् आंदोलन को प्रशासनिक तरीके से दबाना चाहते थे तो सोनिया राहुल गुट कूटनीतिक स्तर पर। मनमोहन सिंह जी भी अन्ना आंदोलन के पक्ष में नहीं थे किन्तु वे दोनों ही गुटों के बीच में थे। प्रारंभ में सिब्बल चिदम्बरम् गुट को पूरी छूट दी गई। प्रधानमंत्री के भाषण के हर शब्द अन्ना के प्रति कठोर थे। जब पासा उल्टा पड़ते दिखा तो कमान राहुल गुट ने सम्हाल ली। राहुल गुट भी अपने कूटनीतिक प्रयासों के परिणामों की सफलता के प्रति आश्वस्त था। राहुल टीम के तरकश में राष्ट्रीय सलाहकार समिति रूपी एक ऐसा तीर था जो अन्ना आंदोलन को समझाने के लिये भी पर्याप्त ताकतवर था और न मानने पर घातक आक्रमण के लिये भी पर्याप्त था। राष्ट्रीय सलाहकार समिति ने अन्ना आंदोलन को भटकाने की जी तोड़ कोशिश की और सफलता न मिलने पर अरुणा तय का प्रस्ताव रूपी ब्रम्हास्त्र का भी उपयोग कर दिया। पूरा आंदोलन सकते में आ गया किन्तु थोड़े ही समय में उसके प्रभाव को कम कर दिया गया। कांग्रेस पार्टी ने अपने पास अग्निवेश नामक एक ऐसा भी कूटनीतिक शस्त्र सुरक्षित रखा हुआ था जिसके आक्रमण से तो आज तक कोई बच ही नहीं सका। यह एक ऐसा शस्त्र है जो प्रारंभ से ही शरीर के साथ चिपका रहता है और आक्रमण करके भी मल्लम पट्टी के काम आता रहता है। यह समय समय पर चिदम्बरम् गुट की भी सहायता करता रहता है तथा राहुल गुट के लिये भी। जब सारे शस्त्र नाकाम हो गये तब अग्निवेश का उपयोग किया गया किन्तु या तो अन्ना गुट से अग्निवेश धोखा खा गये अथवा उनके किसी अन्य साथी ने उन्हें धोखा देकर उनकी कपिल जी से हुई फोन की बात रेकार्ड कर ली। तत्काल ही अन्ना गुट ने उन्हें किनारे कर दिया। परिणाम हुआ कि अग्निवेश का आक्रमण भी विफल हुआ। साथ ही सारी दुनिया को भी पता चल गया कि यह व्यक्ति कितना खतरनाक है। अन्त अन्त में राहुल जी स्वयं मैदान में आये और उन्होंने लोकपाल को संवैधानिक दर्जा देने का एक नया दांव फेंका किन्तु तब तक वातावरण इतना बिगड़ चुका था कि उनका वह दांव भी कोलाहल में ही दब गया।

अन्ना के आंदोलन से वे सारे तत्व परेशान दिखे जो धर्म, जाति, गरीब अमीर के नाम पर समाज को तोड़कर लम्बे समय से अपनी दुकानदारी चला रहे हैं। समाज को वर्गों में बांटकर ऐसे वर्गों का नेतृत्व ले लेना और उसके नाम पर अपनी व्यक्तिगत दुकानदारी खड़ी करने में ये तत्व लम्बे समय से सफल रहे हैं। आंदोलन अन्ना ने एकाएक धर्म जाति गरीब अमीर की सारी दीवारें तोड़ कर रख दी। प्रत्येक व्यक्ति एक सामाजिक व्यक्ति के रूप में आंदोलन से जुड़ा और जुड़ता ही चला गया। संघ परिवार ने पहले तो एक संगठन के रूप में आंदोलन के सहभागी बनने की कोशिश की जिसे आंदोलन अन्ना ने अस्वीकार कर दिया। जब संघ परिवार को लगा कि उसके कार्यकर्ता अनुशासन तोड़कर भी आंदोलन में चले जायें तो संघ परिवार ने समर्थन व्यक्त करना ही ठीक समझा। रविशंकर जी महाराज क्या चाहते हैं यह समझना न पहले कभी आसान था न अब है। उन्होंने अन्ना को क्या समझाया यह पता ही नहीं चल पाया। कुछ हरिजन नेता तो हरिजनों को जुड़ते देख बहुत ही बौखला गये। उदित राज जी ने तो बाकायदा अन्ना विरोध का एलान भी कर दिया था। अन्य कुछ स्वतंत्र हरिजन नेता भी इतने दिन परेशान ही रहे। मायावती जी ने बिल्कुल स्पष्ट शब्दों में आंदोलन अन्ना का विरोध किया और सलाह दी कि वे चुनाव में आवे। इसी तरह कुछ मुस्लिम धर्म गुरुओं ने तो आंदोलन अन्ना का समर्थन करना उचित समझा तो कुछ ने समझा कि जब दीवार टूटनी ही है तो अन्तिम दम तक कोशिश करनी चाहिये। अब्दुला बुखारी ने मुसलमानों को रोकने की पूरी पूरी कोशिश की यद्यपि उनके रोकने से कोई रुका नहीं। कुछ नेताओं को इस आंदोलन अन्ना के तेरह दिनों में इतनी बार संविधान को अंबेडकर के साथ जोड़ना पड़ा कि कहीं यह अंबेडकर का संविधान अपना स्वरूप बदलकर भारतीय न बन जावे। उन्हें डर सताने लगा कि यदि यह संविधान भारतीय संविधान बन गया तो उनकी तो सारी दुकानदारी ही खतम हो जायगी। महिलाओं के नाम पर भी तोड़ फोड़ करने के प्रयास जारी थे और यदि आंदोलन अन्ना एक दो दिन और चलता तो कोई न कोई महिला नेता मैदान में कूदती ही।

इस आंदोलन में एक गुट ने स्पष्ट स्टैंड लिया। माया, मुलायम, रामबिलास पासवान लालू प्रसाद यादव आदि के जिस गुट को हम एक समान कार्य प्रणाली का मानते हैं उन सबने बिना किसी प्रकार का नाटक किये इस आंदोलन का खुला विरोध किया। उनकी नजर में यह आंदोलन भ्रष्टाचार के भी खिलाफ है और तंत्र सशक्तिकरण के भी खिलाफ। इस गुटके हर सदस्य ने पूरे तर्क देकर सांसदों को यह समझाने की कोशिश की कि यह आंदोलन संसदीय लोकतंत्र को कमजोर करेगा जिसका अंतिम परिणाम होगा तंत्र के अधिकारों में कटौती और लोक सशक्तिकरण। ये सांसद छाती पीट पीट कर संसद में चिल्ला रहे थे कि जिस डगल पर हम सब बैठे हैं उस डगल को काटो मत। संसद का दूसरा गुट यह महसूस कर रहा था कि हम जिस पेड़ पर बैठे हैं वह इस आंधी में जड़ से ही उखड़ सकता है और वह नुकसान ज्यादा गंभीर होगा। अतः कुछ डगले कट जाने दो। पेड़ उखड़ेगा तो नहीं। उनकी सलाह थी कि झुक जाओ। समझौता कर लो। तूफान आया है और निकल जायगा। कटे छटे संसदीय लोकतंत्र को बचा लेना ही बुद्धिमानी है।

भारतीय संसद का हर सांसद यह पूरी तरह जानता था कि यह आंदोलन भ्रष्टाचार के विरुद्ध न होकर लोक और तंत्र के बीच शक्ति परीक्षण है यदि हम जरा भी दबे तो लोक हम पर हावी हो जायगा। यह उनके जीवन मरण का प्रश्न है। दूसरी ओर लोक ने भी अपनी सारी शक्ति झोक दी थी। साठ वर्षों से लगातार गुलाम बनाकर रखा गया लोक स्व स्फूर्त ही सड़को पर उतर आया था। अधिकांश लोग तो यह जानते ही नहीं थे कि यह लड़ाई भ्रष्टाचार की है या लोक स्वराज्य की अथवा कोई और। ये बेचारे तो तंत्र के द्वारा इतने वर्षों से इतनी गुलामी झेल चुके थे कि इन्हे लगा कि अब इससे ज्यादा बुरा और क्या होगा? वोट देने के अलावा हमारे पास जो भी अधिकार है वे सब तो तंत्र की दया पर ही हैं। यदि इस आंदोलन से कुछ बिगड़ा भी तो क्या बिगड़ेगा। अतः निकल पड़े लोग अन्ना की जय जय कार करने। टीम अन्ना ने बड़ी सूझ बूझ से आंदोलन की रूप रेखा बनाई थी। जब जब मेरी इस योजना पर चर्चा होती थी तो मैं सीधे लोक और तंत्र के बीच धुवीकरण का पक्षधर था जबकि टीम अन्ना के लोग इतने आश्वस्त नहीं थे कि आम लोग लोक स्वराज्य के मुद्दे को समझ लेंगे। अतः वे लोग किसी अन्य मुद्दे से परीक्षण करना चाहते थे। मैं इस पक्ष में नहीं था कि संसद सर्वोच्च है यह अपने मुंह से बार बार कहा जाय। मैं तो संविधान को भी तब तक सर्वोच्च कहने के पक्ष में नहीं था जब तक वह संसद की मुट्ठी में कैद है। टीम अन्ना मुझसे सहमत नहीं थी। यही कारण था कि टीम अन्ना के आंदोलन में हम सबका समर्थन और सहयोग तो था किन्तु सहभागिता नहीं थी। हमें डर था कि यदि सरकार ने कही झुक कर समझौता कर लिया तो हमारे लोक की लड़ाई का क्या होगा जो सरकार से सुख सुविधाओं के लिये परेशान नहीं है बल्कि सरकार की गुलामी से परेशान है। यह संसद, यह संविधान, यह न्यायपालिका, सब के सब तंत्र के साथ है। ये हमें सुख सुविधायें तो देने के लिये तैयार हो सकते हैं किन्तु स्वतंत्रता नहीं दे सकते। एन ए सी में बैठे तंत्र के एजेंट दिन रात इमानदारी से हमारी सुख सुविधाओं की चिन्ता करते तो रहते हैं। लेकिन क्या कभी इन्होंने हमारी गुलामी के बारे में भी सोचा। अन्ना जी ने सोचा तो उन एजेंटों ने प्रस्ताव अरुणा राय

बनाकर उसमें भी अड़ंगा लगाने की कोशिश की। मेरा यह मत था कि भ्रष्टाचार की लड़ाई जीत भी ले तो हमारी सुख सुविधाएँ बढ़ सकती हैं किन्तु हमारी स्वतंत्रता में कोई वृद्धि नहीं होगी। टीम अन्ना ने जो मार्ग चुना और जो परिणाम आया उससे हम दोनों की ही धारणाएँ पुष्ट होती हैं। टीम अन्ना के इस कथन में भी दम है कि भ्रष्टाचार के विरुद्ध ही आंदोलन ने राजनेताओं की बोलती बन्द की अन्यथा वे शुरू से ही एक जुट हो जाते और जनता के बीच भ्रम फैलाते। हमारा मत यह है कि यह लड़ाई कभी भ्रष्टाचार के विरुद्ध शुरू ही नहीं हुई। यदि होती तो समाज में गले तक भ्रष्टाचार में डूबे लोग इस आंदोलन में शामिल नहीं होते। यह लड़ाई शुरू से ही गुलामी और स्वतंत्रता के बीच की लड़ाई समझी गई। यदि कुछ भ्रम भी फैलता तो हमारे सांसदों ने लगातार बोल बोलकर जनता को जागृत कर दिया। अन्ना दिन भर में एक बार बोलते थे कि हम संसद को सर्वोच्च मानते हैं तो हमारे सांसद दिन भर में दस बार बोलते थे कि यह संसदीय सर्वोच्चता को चुनौती है। खैर चाहे जनता भ्रष्टाचार के नाम पर जुटी हो या लोक सशक्तिकरण के नाम पर। जनता जुटी। सांसदों का मनोबल टूटा, राजनेताओं की चिन्ता बढ़ी यही हम सबको संतोष है।

इस पूरे संघर्ष से मिला क्या? राजनीतिज्ञ कोई साधारण जीव तो होता नहीं। क्या वह इतनी आसानी से हमें गुलामी से मुक्त कर देगा? क्या वह इतनी आसानी से अपनी मुठ्ठी में बंद संविधान को आजाद कर देगा? अंग्रेजों से मुक्ति के लिये तो हमें कितनी कुर्बानी देनी पड़ी जबकि वे तो भारत में मुठी भर ही थे। इस भारतीय तंत्र की जड़े तो बहुत गहराई तक हैं। इन सबसे मीडिया उपकृत है। ये साहित्यकारों कलाकारों को सम्मान और धन देकर उपकृत करते रहते हैं। इनकी मुठ्ठी में एक संविधान बन्द है जिसके प्रति हर भारतीय के मन में आज भी सम्मान है। वह संविधान इनके लिये ढाल का काम करता है। इसलिये संघर्ष उसकी अपेक्षा ज्यादा कठिन है जितना हम मानते हैं। दूसरी ओर यह भी सच है कि जब हम पहला वेरियर तोड़ने में सफल रहे तो आगे इससे कम ही कठिनाई आयेगी।

हम सब जानते हैं कि अभी तो जीत की शुरुआत भी नहीं हुई है। फिर यह पूरे भारत में विजय जुलूस कैसा? मेरे विचार में यह जुलूस किसी हार जीत का प्रतीक न होकर लोक का मनोबल बढ़ाने तथा तंत्र का मनोबल गिराने का वातावरण बनाने से आगे कुछ नहीं था। जिस तरह पूरे भारत में खुशी का वातावरण था उसे देखकर तो ऐसा लगा जैसे कि हम वास्तव में आजाद हो गये हो। अब विजय जुलूस को चौबीस घंटे बीत चुके हैं। सच्चाई यह है कि अब भी हम उसी जगह हैं जहाँ तेरह दिन पूर्व थे। अतः राजनेताओं की ताकत को कम समझना उचित नहीं। हमें और अधिक सतर्कता से बढना होगा। अन्ना जी दूसरे कदम के रूप में राइट टू रिकाल को उठा रहे हैं। हमें लगातार उनके दूसरे कदम के प्रति भी समर्थन व्यक्त करना होगा। यदि यह संघर्ष इस तरह तीन चार कदम बढ़ा तो एक दिन ऐसा जरूर आयेगा जब हम छाती ठोक कर कह सकेंगे कि अब भारत का लोकतंत्र लोक नियुक्त से बदलकर लोक नियंत्रित हो गया है।

## संसद की अवमानना का उपयोग या दुरुपयोग

जबसे अन्ना जी का आंदोलन शुरू हुआ है तबसे भारतीय संसद और उसके सांसद कुछ ज्यादा ही अपने अधिकारों के प्रति जागरूक हो गये हैं। स्थिति यहाँ तक आ गई है कि वे न केवल अपने सांसदों को अधिकारों के प्रति जागरूक कर रहे हैं बल्कि वे समाज में भी एक भय बनाने की कोशिश कर रहे हैं कि आम लोग संसद और सांसदों से व्यवहार करने में भयमुक्त न हो जावे। यही कारण है कि सांसदों ने तत्काल ही ओम पुरी, किरण बेदी, प्रशान्त भूषण आदि के विरुद्ध अवमानना के शस्त्र का प्रयोग किया।

ओमपुरी, किरण बेदी, प्रशान्त भूषण ने क्या कहा यह तो मैं प्रत्यक्ष नहीं सुन सका किन्तु बाद में जो चर्चा में आया उससे स्पष्ट था कि इन तीनों के विरुद्ध अवमानना के लिये बहाना खोजा जा सकता था। मैंने जब बरेली के सांसद और ओमपुरी के बीच टी वी पर संवाद सुना तो मैंने देखा कि बेचारे ओमपुरी बार बार माफी मांग रहे थे और सांसद जी उनपर लगातार बरस रहे थे। सांसद महोदय ने अपनी इमानदारी का इतना गुणगान किया कि मैं आश्चर्य चकित हो गया। मैं पूरी तरह आश्चर्य हूँ कि भारतीय संसद का शायद ही कोई सांसद हो जो यह दावा कर सके कि उनमें अपने चुनाव खर्च का जो हिसाब सार्वजनिक रूप से दिया है उससे ज्यादा चुनाव में खर्च नहीं किया है। यदि बरेली के सांसद महोदय ऐसा दावा करें तो हम इस संबंध में उनकी इमानदारी की जाँच करके प्रमाणित करने को भी तैयार हैं।

मैं मानता हूँ कि ओमपुरी जी ने परिस्थितियों को ठीक से समझे बिना ही अनावश्यक बातें बोल दीं। सच्चाई यह है कि गुलाम यदि अपने मालिक को चोर कह दे भले ही वह चोर हो तो भी ऐसी भाषा बोलना ठीक नहीं। स्वाभाविक है कि मालिक ऐसी भाषा सहन नहीं कर सकता। ओमपुरी जी ने अच्छा किया जो सच्चाई को समझा और माफी मांग ली।

भारतीय संसद सांसदों के अधिकारों के प्रति बहुत जागरूक है। मैं अच्छी तरह जानता हूँ कि भारतीय संसद पांच सौ तेतालीस निर्वाचित सांसदों से बनती है तथा उसमें प्रत्येक सांसद को स्वतंत्रता पूर्वक बोलने का विशेषाधिकार प्राप्त है। संविधान की धारा एक सौ पाच में इसका स्पष्ट उल्लेख है। जब सांसद को सदन में बोलने की पूर्ण स्वतंत्रता है तो कोई दल दृष्टिपथ जारी करके सांसद की स्वतंत्रता में बाधा कैसे उत्पन्न कर सकता है? क्या यह विशेषाधिकार उल्लंघन नहीं है? संसद में सांसद का चुनाव संवैधानिक प्रक्रिया है जबकि दलीय अनुशासन संवैधानिक प्रक्रिया का भाग नहीं है। दल का अनुशासन संवैधानिक स्वतंत्रता के उपर नहीं हो सकता। आज तक किसी सांसद ने इस विषय को संसद की अवमानना नहीं माना।

शरद यादव ने संसद में जिस भाषा का उपयोग किया वह वाक् स्वतंत्र है या अवमानना यह सांसदों को तय करना होगा। मेरा तो पूर्व में भी विचार रहा है और अब भी यही विचार है कि सांसदों को प्राप्त विशेष अधिकारों पर फिर से विचार करना चाहिये। विशेष रूप से इस बात पर अवश्य विचार करने की जरूरत है कि संसद की अवमानना पर न्यायालय विचार करे और न्यायालय की अवमानना पर संसद। यह उचित नहीं कि संसद ही अपने विशेषाधिकार भी तय कर ले और वही अवमानना भी मान ले और वही दण्डित भी करे। अब वह जमाना गया जब संसद और सांसद ही सब कुछ थे। अन्ना जी के आंदोलन ने प्रमाणित कर दिया है कि संसद और सांसद सब कुछ होते हुए भी समाज के समक्ष कुछ नहीं हैं।

## (1) सुशासन की मौलिक समस्या का समाधान — भरत झुनझुन वाला

विषय है कि लोकपालकी नियुक्ति कौन करेगा? अन्ना हजारे की मांग है कि न्यायधीशों, नागरिकों एवं संवैधानिक पदाधिकारियों द्वारा नियुक्ति की जाय। मेरी समझ में नियुक्ति की इस प्रक्रिया से समाधान नहीं होता है। चयन समिति में इन व्यक्तियों में से किसकी नियुक्ति होगी, यह कौन तय करेगा? अन्ततः यह कार्य सरकार को ही करना पड़ेगा।

सरकार चाहेगी तो चयन समिति में भ्रष्ट व्यक्तियों की नियुक्ति कर सकेगी जैसे सीवीसी थामस के प्रकरण में हुआ था। नागरिकों में अनेक भ्रष्ट हैं। न्यायधीशों में भी भ्रष्ट हैं। संवैधानिक पदाधिकारियों की नियुक्ति सरकार द्वारा की जाती है। यदि य भ्रष्ट न होते तो आज तक स्वतः भ्रष्टाचार नियंत्रित हो जाता। सच यह है कि देश के शीर्ष नेता स्वयं भ्रष्ट हैं। हवाला और बोफोर्स

प्रकरण में इनके भ्रष्टाचार में लिप्त होने के पर्याप्त संकेत उपलब्ध थे । परन्तु संवैधानिक पदाधिकारियों के भ्रष्ट होने से नियुक्ति लगभग असंभव लगती है। चोर द्वारा कितनी भी पारदर्शी प्रक्रिया से लोकपाल की नियुक्ति की जाय, अन्ततः चोर ही नियुक्त किया जायगा । सही है कि सरकार द्वारा संतोष हेगडे एवं किरण बेदी जैसे किन्हीं ईमानदार व्यक्तियों की नियुक्ति की गई है किन्तु इसे अपवाद ही मानना चाहिये । अपवादों के आधार पर व्यवस्था को बनाना उचित नहीं है।

सरकार से आशा करना कि वह व्यवस्था बनाएगी जिससे भ्रष्टाचार दूर हो पूर्णतया खयाली पुलाव है। हमें बाहर से सरकार पर नियंत्रण का रास्ता ढूँढना होगा । ऐसी व्यवस्था बनानी होगी कि सरकार की इच्छा के बावजूद उसे नियंत्रण में आना पड़े जैसे घोड़े पर लगाम लगाई जाती है । ऐसी व्यवस्था बनानी होगी । जिसपर सरकार का तनिक भी दखल न हो। यह व्यवस्था दो स्तर पर बनाई जा सकती है । पहला स्तर संसद का है और दूसरा स्तर विचारकों का है।

वर्तमान शासन व्यवस्था का स्वरूप वास्तव में पार्टी तंत्र का है । यह लोकतंत्र है ही नहीं, चूंकि चयनित सांसद पर पार्टी की व्हिप की तलवार लटकती रहती है । पुनः टिकट पाने के लिये भी सांसद को पार्टी के नेताओं के इशारे पर नाचना होता है। मित्र बताते हैं कि किसी ज्ञापन पर एक प्रमुख पार्टी के लगभग 20 सांसदों ने अपने स्वतंत्र विवेक से दस्तखत कर दिया था। इसपर पार्टी के शीर्ष नेताओं ने उन्हें फटकार लगाई । कहा कि किसी विषय पर मन्तव्य बनाने के पहले पार्टी के हाई कमान से स्वीकृति लेनी चाहिये । तात्पर्य यह है कि वर्तमान में सांसदों की चाल पार्टी के शीर्ष नेताओं के हित साधने की दिशा में होती है । जानकार बताते हैं कि प्रमुख पार्टियों के नेताओं में अलिखित समझौता हो चुका है कि वे एक दूसरे के व्यक्तिगत भ्रष्टाचार एवं कालेधन पर आवाज नहीं उठाएंगे। दोनों प्रमुख पार्टियों द्वारा अपने-अपने शासनकाल में दूसरी पार्टी के कालेधन का मामला नहीं उठाया गया है। अतः सरकार द्वारा जो लोकपाल की पहल की जा रही है वह दिखावटी है। जैसे जब कतरा मुसाफिर के सामान को उठवाने में मदद करता है। और मौका मिलते ही हाथ साफकर देता है । दरअसल ऐसा रास्ता ढूँढना है जो पार्टी तंत्र की दखल से बाहर हो।

सुझाव है कि इमानदार लोग इंडिपेंडेंट प्रत्याशी के रूप में चुनाव लड़ें । लक्ष्य होना चाहिये कि ऐसे 100 सांसदों को जिता कर लाए । इन प्रत्याशियों का संकल्प होगा कि वे किसी भी पार्टी को समर्थन नहीं देंगे और हर विषय पर अपना स्वतंत्र मत डालेंगे। सरकार सदा अल्पमत में रहेगी । किसी भी कानून को पारित कराने के लिये सत्तारूढ़ पार्टी को इन स्वतंत्र सांसदों में से कुछ का समर्थन प्राप्त करना ही होगा। इन स्वतंत्र सांसदों द्वारा डाला गया मत जनता की आवाज के अनुरूप हो सकता है चूंकि ये पार्टी के अंकुश के बाहर होंगे। विशेष बात है कि यह व्यवस्था वर्तमान संवैधानिक ढांचे में लागू हो सकती है अन्यथा हम 'न नौ मन तेल होगा, न राधा नाचेगी' के झंझट में उलझ कर रह जाएंगे। सरकार लोकपाल कानून नहीं बनाएगी। बिना कानून बनाए भ्रष्टाचार पर नियंत्रण होगा नहीं।

समस्या है कि पिछले 60 वर्षों में इंडिपेंडेंट प्रत्याशिया की गति निराशाजनक रही है। हमें इससे हतोत्साहित नहीं होना चाहिये चूंकि वर्तमान इंडिपेंडेंट सांसद पार्टी के व्यक्तिगत समीकरण न बैठने के कारण इंडिपेंडेंट के रूप में चुनाव लड़ते हैं । इनकी आईडियोलॉजी में विशेषता नहीं है । प्रस्तावित इंडिपेंडेंट प्रत्याशियों के समूह को जनता को समझाना होगा कि हम सब मिलकर सरकार पर नियंत्रण करेंगे । अन्ना हजारे , बाबा रामदेव, किरण बेदी, को इंडिपेंडेंट रूप में चुनाव लड़ने चाहिये।

दूसरे स्तर की व्यवस्था भी बनानी चाहिये । जरूरत है कि स्वतंत्र सत्यभाषी लोगों की मित्र मंडली बनाई जाय । समाज में तमाम व्यक्ति हैं जो अपने सीमित क्षेत्र में बिना किसी लाभ की आशा के दूसरों की मदद कर रहा है कोई भ्रष्टाचार के विरुद्ध लड़ रहा है , कोई जंगल बचाने के प्रयास कर रहा है तो कोई सच्चा शोध कर रहा है । जैसे एक कर्मचारी यूनिवर्सिटी में व्याप्त भ्रष्टाचार के विरुद्ध हाई कोर्ट में याचिका डालता है । दूसरा सामाजिक कार्यकर्ता जहाँ भी हाईड्रोपावर प्रोजेक्ट द्वारा जनता के अधिकारों का हनन होता है , वहाँ तत्काल पहुंच कर मदद करता है । तीसरा पुलिस का शीर्ष अधिकारी सरकारी सेवा से त्यागपत्र देकर शासन तंत्र के संबंध में पुस्तिकाएँ लिखता है । वर्तमान में ये सत्यभाषी व्यक्ति अपने को अकेला और असहाय महसूस करते हैं। इस तरह के तमाम लोग बिना फंडिंग के, बिना किसी पद के, बिना किसी लाभ की आशा के कार्य कर रहे हैं। ये अपना समय और पैसा आत्मसंतुष्टि के लिये लगाते हैं। इनकी राजनीतिक महात्वाकांक्षा अथवा लोकेषणा भी नहीं होती है। ये लोग ही सच्चे मायने में गांधी जी द्वारा बताए गये रचनात्मक कार्यकर्ता हैं । ऐसे स्वतंत्र, असंगठित , स्वप्रेरित , सत्यनिष्ठ एवं राष्ट्रभक्त लोगों का नेटवर्क बनाना चाहिये । जिस प्रकार कुम्भ मेले में तमाम धर्मगुरु आते हैं और कमोबेश आपसी चर्चा करते हैं उसी तरह इन स्वतंत्र व्यक्तियों का कुम्भ मिलन आयोजित करना चाहिये । आपसी मेलजोल से सबकी उर्जा में वृद्धि होगी । स्वतंत्र विचारकों का यह समूह सच बोल सकता है। सभी पार्टियों के शीर्ष नेताओं ने विदेश में कालाधन जमा कर रखा है । इस बात को ये निर्भीकता पूर्वक कह सकते हैं , चूंकि ये किसी भी प्रकार से शासन तंत्र पर निर्भर नहीं हैं। इस कुम्भ मेले में उन व्यक्तियों को विशेष तौर से बुलाना चाहिये जो अंतर्मुखी हैं, जो किसी सामाजिक कार्य में लगे हुए हैं तथा जो नौटंकी नहीं करते हैं। इस नेटवर्क से समाज में स्वतंत्र वैचारिक केन्द्रों की उर्जा बढ़ेगी , समाज को सुविचार मिलेंगे और सांसदों एवं पार्टियों पर दबाव बनेगा।

स्वतंत्र सांसदों एवं स्वतंत्र विचारकों के माध्यम से ही भ्रष्ट पार्टी तंत्र पर अंकुश लगाना संभव होगा । लोकपाल का अंत में वही हस्त होगा जो सीवीसी, न्यायाधीश आदि पदों का हुआ है। इस दिशा में उर्जा नहीं लगानी चाहिये । कहना चाहूंगा कि अन्ना हजारे एवं बाबा रामदेव के आंदोलन का मैं तहेदिल से समर्थन करता हूँ । यह लेख इनकी आलोचना नहीं है, बल्कि इस आंदोलन पर मित्रवत चर्चा की ओर एक कदम है।

उत्तर— आपके विचार गंभीर हैं । हमलोगों ने भी जीवन भर लगभग इसी दिशा में काम किया है । लोक संसद का प्रस्ताव भी हमलोगों ने अभी रखा है जो इसी अंक के उत्तरार्ध में है। स्वतंत्र विचार मंथन का कार्य चल ही रहा है। आगे आपका इसी प्रकार मार्ग दर्शन मिलता रहेगा ऐसी आशा है।

## (2) आचार्य पंकज, अध्यक्ष व्यवस्था परिवर्तन मंच, रिषिकेष उत्तराखंड

प्रश्न— ज्ञान तत्व दो सौ सताइस में सत्यदेव गुप्त के पत्र के उत्तर में आपने लिखा कि मुझे हिन्दू होने पर गर्व है। मेरे विचार में आपको ऐसे संकीर्ण सोच से बचना चाहिये। प्रकृति की अनुपम कृति मनुष्य है हिन्दू मुसलमान यहूदी, इसाई और पारसी ये मनुष्य में भेदान्तर पैदा करके समाज को बुरी तरह से क्षतिग्रस्त किया है । जाति और धर्म को समाज तोड़क मानने वाले भी वही करे जिसकी आलोचना करते थकते नहीं फिर तो हो चुका लोक स्वराज्य ? श्री युक्त बजरंग लाल अग्रवाल प्रगतिशीलता आई " म बजरंग " फिर बजरंग मुनि कही न कही जातिसूचक उपाधि से उपर उठने की भरपूर कोशिश । यही आपकी चेतना विचार एवं कर्म में साम्यता प्रस्तुत करते हुए समर्थकों को दृढ़ करती है। मुझे न तो आप हिन्दू दीखते हैं न तो आर्य समाजी न ही सनातनी। पूर्णरूपेण समाजी जो प्रतिक्षण समाज की चिन्ता में सोता है जागता है । कई वर्षों तक छाया की तरह साथ रहकर जो जान सका हूँ वही लिख रहा हूँ। हिन्दू या मुसलमान होने में मुझे शर्म है । मैं मनुष्य हूँ कृपया अपनी स्थिति स्पष्ट करें।

उत्तर— मैंने जो कुछ लिखा है वह मेरी व्यक्तिगत धारणा है । मैं अपनी यह धारणा पूर्व में भी कई बार व्यक्त कर चुका हूँ कि मुझे हिन्दू होने पर गर्व है । मुझे ऐसा लगता है कि मेरी और आपकी सोच में कोई फर्क नहीं है। मैं उस हिन्दुत्व पर गर्व करता हूँ जो गुण प्रधान है, कर्तव्य की प्रेरणा तक सीमित है, समाज को धर्म के नाम पर नहीं बांट कर व्यक्तियों साथ यथोचित व्यवहार करता है। आप उस हिन्दुत्व से घृणा करते हैं जो पहचान प्रधान है, अधिकारों के लिये जागरूक करने की चिन्ता में सक्रिय है, समाज को किसी पहचान के आधार पर बने संगठन के आधार पर बांटता है। मेरे व्यक्तिगत विचार में हिन्दुत्व में धर्म के अधिकांश लक्षण मौजूद हैं जो वर्तमान में अन्य तथा कथित धर्मों में नहीं । अस्सी वर्षों से हिन्दुत्व का विकृत स्वरूप “संघ परिवार” के नाम से हिन्दुत्व को पहचान प्रधान, संगठन प्रधान, उपासना पद्धति प्रधान दिशा में ले जाने के जी तोड़ परिश्रम के बाद भी यदि असफल हो रहा है तो मैं हिन्दुत्व की मौलिक अवधारणा पर गर्व क्यों न करूँ। क्या आज तक दुनिया में कोई ऐसा भी संगठन है जिसने किसी अन्य संगठन के व्यक्ति को अपने साथ जुड़ने पर एक पक्षीय रोक लगा रखी हो? अन्य सभी तथा कथित धर्म संख्या विस्तार की छीना झपटी में गले तक डूबे हुए हैं और हिन्दुत्व ने ऐसी छीना झपटी पर रोक लगा रखी है। मुझे तो इस व्यवस्था पर गर्व है। इस्लाम में समाज व्यवस्था का अभाव है तो इसाइयत में परिवार व्यवस्था का अभाव है। साम्यवाद में दोनों का अभाव है। हिन्दुत्व में परिवार व्यवस्था भी है और समाज व्यवस्था भी। इस्लाम और साम्यवाद व्यक्ति के प्राकृतिक अधिकारों की गारंटी नहीं देते किन्तु हिन्दुत्व देता है। जब तक कोई व्यक्ति किसी अन्य व्यक्ति के प्राकृतिक अधिकारों पर आक्रमण नहीं करता तब तक उसे समाज या परिवार से बहिष्कृत तक ही किया जा सकता है, दण्डित नहीं किया जा सकता। किसी अन्य धर्म में ऐसी स्पष्ट व्यवस्था नहीं है । हिन्दुत्व स्पष्ट रूप से अनुशासन और शासन की सीमाओं को समझता है । हिन्दुत्व धर्म, समाज और राज्य को एक साथ जोड़ कर नहीं देखता । अन्य धर्म देखते हैं। कई सौ वर्षों की इस्लामिक गुलामी तथा अंग्रेजी गुलामी के बाद भी तथा उक्त गुलामी काल से निपटने के लिये संघ परिवार द्वारा बनाई गई रणनीति का स्वतंत्रता के बाद दुरुपयोग करने के बाद भी हिन्दुत्व आज भी अपने मूल स्वरूप में टिका है तो मुझे उसके इस स्वरूप पर गर्व है । मैं चाहता हूँ कि हिन्दुत्व अपने मूल स्वरूप को आधार बनाकर सशक्त बने न कि विकृत स्वरूप को ही हिन्दुत्व मानकर उससे घृणा करने की भूल करे।

### (3) श्री जगदीश गांधी , सिटी मोन्टेसरी स्कूल लखनऊ उत्तर प्रदेश

सुझाव— 66 वर्ष पूर्व 6 अगस्त 1945 को द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान अमेरिका ने जापान के हिरोशिमा शहर पर लिटिल मैन नाम के यूरेनियम बम का विस्फोट किया था। हिरोशिमा में गिरे बम के कारण 13 वर्ग किलोमीटर के क्षेत्र में तबाही फैल गई थी । शहर की 60 प्रतिशत से अधिक इमारतें नष्ट हो गई थीं। एक अनुमान के अनुसार हिरोशिमा की कुल 3 लाख 50 हजार की आबादी में से 1 लाख 40 हजार लोग इस बम विस्फोट में मारे गये थे । इनमें सैनिक और वह लोग भी शामिल थे जो बाद में परमाणु विकिरण की वजह से मारे गये । इसके पश्चात भी बहुत से लोग लंबी बीमारी कैंसर और अपंगता के भी शिकार हुए । इसके तीन दिनों बाद 9 अगस्त 1945 को अमेरिका ने जापान के नागासाकी नगर पर फैंट मैन नाम का प्लूटोनियम बम गिराया था। अमेरिका ने नागासाकी शहर पर पहले से भी बड़ा हमला किया , जिसमें लगभग 74 हजार लोग मारे गये थे और इतनी ही संख्या में लोग घायल भी हुए थे। विश्व इतिहास में यह आतंक और बर्बरता की पहली घटना थी। इस बर्बरता को कभी भी सही नहीं ठहराया जा सकता। प्रसिद्ध वैज्ञानिक आइन्सटीन से किसी ने पूछा कि तीसरा विश्व युद्ध किन किन शस्त्रों से लड़ा जायगा तो उन्होंने कहा था कि तीसरे विश्व युद्ध के बारे में तो मैं नहीं बता सकता किन्तु मेरे अनुमान से चौथा विश्व युद्ध पत्थरों के द्वारा लड़ा जायगा । उनके अनुसार यदि तीसरा विश्व युद्ध हुआ तो संसार का पूरी तरह विनाश हो जायगा और तब युद्ध की अव्यवस्था में मनुष्य को लड़ाई के लिये केवल पत्थर ही मिलेगा। उसके बाद उनसे पूछा गया कि क्या एटम बम के निर्माण से विश्व में सुख शान्ति आ सकती है ? तब उस महान वैज्ञानिक ने कहा था कि जो एटम बम मैंने बनाया है उससे तो भारी विनाश ही होगा । सुख शान्ति तो तभी आयेगी जब संसार में सभी लोग सच्चे इंसान बन जायेंगे। अतः अब वह समय आ गया है जबकि विश्व के सभी वैज्ञानिकों को सच्चे मन से चिंतन व मनन करना चाहिये कि हम विज्ञान का उपयोग कैसे और किस तरह से करें , जिससे कि सारी मानवजाति का कल्याण हो । इसके लिये विश्व भर में इस तरह के वैज्ञानिक समारोह होने चाहिये जिससे कि वैज्ञानिकों की सोच में बदलाव आये और वे संपूर्ण मानवता की भलाई के लिये कार्य कर सकें।

उत्तर — अमेरिका ने हिरोशिमा नागासाकी पर बम गिराकर कई लाख लोगों की हत्या कर दी यह बम का दोष था , अमेरिका का दोष था जापान का दोष था या बम बनाने वाले वैज्ञानिकों का दोष था यह विवाद का विषय है। किन्तु यह निर्विवाद सत्य है कि मरने वालों का इस विवाद से कोई संबंध नहीं था। यदि कोई शत्रु मुझ पर लगातार आक्रमण कर रहा है, आक्रमण से सुरक्षा की मेरे पास शक्ति नहीं है, कोई सामाजिक व्यवस्था नहीं है जो मुझे न्याय दिला सके वैसी स्थिति में मैं सामाजिक मान्यताओं के विपरीत कदम उठाता हूँ तो ऐसे कदम के पक्ष विपक्ष में लम्बे समय तक चर्चा स्वाभाविक है।

इतनी बड़ी घटना के बाद भी हमने सीखा क्या ? दोष बम का नहीं है । दोष है ऐसी विश्व व्यवस्था के अभाव को जो उस समय भी नहीं थी और आज भी नहीं है । इस घटना के बाद इतने वर्ष बीत गये किन्तु हम कोई ऐसी विश्व व्यवस्था नहीं बना सके जो ऐसी विध्वंसक हथियारों की आवश्यकता को ही अनावश्यक सिद्ध कर दे।

हम विश्व व्यवस्था और एटम बमों की बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं । हम अमेरिका तथा जापान के टकरावों की समीक्षा कर रहे हैं । किन्तु क्या नागासाकी हिरोशिमा की इस घटना के बाद भारत में किसी ऐसी व्यवस्था का विकास हुआ है जो भारत के आंतरिक विवादों के समाधान में हिंसा की आवश्यकता को कम कर रही हो । नागासाकी हिरोशिमा की घटना के समय तो भारत गुलाम था किन्तु अब तिरसठ वर्षों से तो हम स्वतंत्र हैं। इसके बाद भी क्या कारण है कि आम नागरिकों में हिंसक हथियार रखने का आकर्षण बढ़ रहा है? दुनिया भर में क्या हो रहा है उससे अधिक चिन्ता का विषय यह है कि हमारे भारत में क्या हो रहा है? मेरी हमेशा से धारणा रही है और आज भी है कि हिंसा का संबंध व्यक्ति की भावनाओं के साथ साथ उसकी सामाजिक असुरक्षा के साथ भी जुड़ा है। जब कोई व्यक्ति यह देखता है कि वह अहिंसक रहने के कारण हार गया अथवा अन्याय करने वालों को कोई दण्ड आम तौर पर नहीं मिल रहा तब उसका विश्वास टूटता है । हमारे सारे अहिंसा के उपदेश उसे अव्यावहारिक दिखने लगते हैं। अच्छा हो कि हम अहिंसा और सुरक्षा पर विश्वास को मिलाकर मार्ग खोजें । आज हम पूरे भारत के कम से कम एक जिले के लोगों को यह विश्वास कराकर देखें कि वे पूरी तरह अहिंसक रहे क्योंकि हमारी राज्य व्यवस्था गारंटी देती है कि हम किसी अन्य को उसके विरुद्ध हिंसा नहीं करने देंगे। यदि राज्य तथा हम सब मिलकर इतना भी कर सकें तो शायद हमें यह सफलता भी मिल सकती है कि हम विश्व सरकार की योजना साकार कर सकें।

#### (4) श्री बाल कृष्ण पिल्लै , तिरुअन्नतपुरम , केरल

प्रश्न— ज्ञान तत्व का अंक 225 पढा । पृष्ठ 18 पर आपने लिखा है कि हमारे देश की विधायिका ने मंत्रि मंडल के माध्यम से कार्यपालिका पर अपना अधिकार जमा रखा है मेरी समझ में राष्ट्रपति प्रधानमंत्री और मंत्रिमंडल , कार्यपालिका के अंग है। इसे आप और स्पष्ट करे ।

2 पृष्ठ बाइस पर आपने लिखा है कि पूंजीवाद की अपेक्षा समाजवाद अधिक घातक है जबकि हमलोग पूंजीवाद को ही अधिक घातक मानते है ।

3 पृष्ठ 27 पर आपने लिखा है कि जर्मनी में बिजली उत्पादन के लिये परमाणु उर्जा की जगह सौर उर्जा की तरफ बढ़ा जा रहा है । आप बताइये कि भारत को सौर उर्जा की तरफ बढ़ने में क्या कठिनाई है?

उत्तर— स्वतंत्रता के बाद लम्बे समय तक न्यायपालिक तथा कार्यपालिका भी एक साथ रहे और विधायिका और कार्यपालिका भी । बाद में न्यायपालिका तथा कार्यपालिका को तो अलग अलग किया गया। किन्तु विधायिका और कार्यपालिका आपस में गड्ढमड्ड ही रहे । मंत्रिमंडल को या तो विधायिका के साथ जुड़ना था या कार्यपालिका के साथ। किन्तु वह स्वयं को कहता तो रहा कार्यपालिका का अंग और बना रहा विधायिका का सर्वोपरि। कोई भी विधेयक पहले मंत्रिमंडल में पारित होना आवश्यक है। यह कैसा पृथक्करण है। यही कारण है कि कानून बनाने वाली संसद की अपेक्षा मंत्रिमंडल अधिक शक्तिशाली होता चला गया । इस तरह मंत्रिमंडल न्यायपालिका से तो बाहर है किन्तु उसका पूरा दखल विधायिका में भी है और कार्यपालिका में भी।

मैंने लिखा है कि पूंजीवाद की अपेक्षा समाजवाद अधिक घातक है क्योंकि समाजवाद राजनैतिक शक्ति तथा आर्थिक शक्ति को एक साथ सरकार के पास इकट्ठा करता है जबकि पूंजीवाद राजनैतिक शक्ति को अलग और आर्थिक शक्ति को अलग अलग करता है। यदि धन कानून, और सेना एक जगह इकट्ठे हो तो स्वाभाविक है कि खतरा अधिक होगा इसलिये मैं समाजवाद को ज्यादा खतरनाक लिखता हूँ ।

भारत का विजली उत्पादन सौर उर्जा की दिशा में नहीं बढ़ा क्योंकि भारत में बिजली के मूल्य बढ़ने ही नहीं दिये गये । यदि भारत में कृत्रिम उर्जा का मूल्य दो गुना हो जाता तो भारत में बड़ी मात्रा में सौर उर्जा बनने लग गई होती । एक राजनैतिक षडयंत्र के अंतर्गत बिजली उत्पादन में किसी न किसी नाम पर रोड़े अटकाये गये जिससे डीजल पेट्रोल का आयात बढ़ता रहे और भारत खाड़ी देशों से दबा रहे। बड़े बांधों का भी विरोध हुआ और परमाणु उर्जा का भी । डीजल पेट्रोल की मूल्य वृद्धि का भी विरोध हुआ, किन्तु डीजल पेट्रोल का आयात कम करने की बात कभी नहीं उठी । ये तीनों ही कार्य लगातार एक ही गुट ने किया जिसकी खाड़ी देशों के साथ सहानुभूति जग जाहिर है। मेरा यह स्पष्ट मत है कि डीजल पेट्रोल पर विदेशी निर्भरता को कम करना हमारी सर्वोच्च प्राथमिकता होनी चाहिये तथा जो लोग खाड़ी देशों की वकालत के रूप में डीजल पेट्रोल की खपत बढ़ाने का वातावरण बनाते हैं ऐसे लोगों का पर्दाफाश किया जाना चाहिये।

#### (5) श्री चिन्मय व्यास , मालदेवता , देहरादून उत्तरांचल

प्रश्न—ज्ञान तत्व में आपने अपनी भूमिका बताई थी कि अण्णा हजारे को आपका समर्थन है किन्तु रामदेव के आंदोलन को नहीं। और कारण बताया था कि उनसे सैद्धान्तिक मतभेद है वे वर्तमान लोकतंत्र के दायरे में रहकर काम करना चाहते हैं और आप वर्तमान लोकतंत्र को बुनियादी तौर पर बदलने का काम में लगे हैं।

यह सैद्धान्तिक आग्रहवाद, सर्व सेवा संघ ने भी अपनाया था और आपको समर्थन नहीं दिया था बल्कि एक तरह से आपकी खिलाफत ही की थी। ऐसा सैद्धान्तिक आग्रहवाद सर्वसेवा संघ के एक गुप ने जो पी आंदोलन के समय भी अपनाया था जिससे सर्व सेवा संघ दो भागों में बंटा और कमजोर हुआ। देश की ज्वलंत समस्याओं का हल करने के लिये यदि कोई व्यक्ति या दल समूह पहल करता है तो उसे सिद्धान्तवादिता की आड़ से नकारना उचित नहीं लगता । अपनी सीमाओं में रहकर वैचारिक समर्थन तो हम दे ही सकते हैं । रामदेव ने भ्रष्टाचार और कालेधन का मुद्दा उठाया था जो देश की ज्वलंत समस्या है (अन्य कई समस्याएँ भी हैं ) वास्तविक लोकतंत्र ग्राम स्वराज्य अफसर शाही लाल फीता शाही नैतिक पतन आदि आदि । इन समस्याओं पर त्वरित ध्यान देने की जरूरत तो है ही। वैचारिक मतभेद होते हुए भी हमें समर्थन देना चाहिये। बुराई से लड़ने वाली ताकतों को एक जुट हो जाना चाहिये । यहाँ सिद्धान्त या आग्रह की ज्यादा जरूरत नहीं है।

वैचारिक लोगो में आग्रहवाद एक बड़ी कमजोरी है । गांधी जी क प्रति पूरी पूरी श्रद्धा रखते हुए भी मुझे लगता है कि कभी कभी उन्होंने भी ऐसा आग्रह रखा । कांग्रेस अध्यक्षता के लिये पट्टाभीसितारमैया को उन्होंने अपना प्रत्याशी माना उनके खिलाफ सुभाष चंद्रबोस खड़े हुए और जीत गये। गांधी जी ने उसे अपनी हार माना। उनके आग्रहवाद के कारण फावर्ड ब्लाक टूट कर अलग हुआ और सुभाष जैसे सुयोग्य व्यक्ति से कांग्रेस वंचित हो गई । इसी तरह उन्होंने पटेल राजाजी और राजेन्द्र बाबू से ज्यादा महत्व जवाहर लाली जी को दिया । उनका यह आग्रह काफी तटस्थ विचारको को ठीक नहीं लगा। एक मकान के बाहर तख्ती लगी है कि अंदर आने की मनाही है । आने वालोपर कानूनी कार्यवाही की जायगी। उस मकान में आग लग गई तो क्या हम आग बुझाने के लिये अंदर नहीं जावेंगे? आपत्ति काले नास्ति मर्यादा । ऐसे में तर्क की जरूरत नहीं होती।

उत्तर— व्यक्ति की कई भूमिकाएँ हुआ करती हैं। समीक्षा, प्रशंसा , समर्थन, सहयोग, सहभागिता तथा दूसरी ओर समीक्षा , आलोचना , विरोध, संघर्ष । समय समय पर भूमिकाएँ बदलती भी रहती हैं । मैं प्रारंभ से ही रामदेव जी का प्रशंसक हूँ। किन्तु मैं प्रारंभ से ही चाहता था कि लोक और तंत्र के बीच अधिकारों का पुनर्निर्धारण हो। अन्ना जी का आंदोलन इस दिशा में अन्य सभी प्रयत्नों की अपेक्षा अधिक ठीक लगा। इसलिये मैंने इनके आंदोलन का समर्थन भी किया और सहयोग भी। फिर भी मैंने अन्ना आंदोलन के साथ सहभागिता नहीं की क्योंकि यह आंदोलन भी प्रारंभ में भ्रष्टाचार विरोध तक सीमित था। मेरी हार्दिक इच्छा थी कि लोक और तंत्र के बीच सीधा धुवीकरण हो। रामदेव जी का आंदोलन ऐसे स्पष्ट धुवीकरण को कमजोर कर रहा था । मैंने रामदेव जी के विषय में कई लेख लिखकर उन्हें सलाह दी कि आप आंदोलन अन्ना का पूरा और खुला समर्थन करें। मुझ खुशी है कि बाबा रामदेव जी ने उससे भी बढ़कर इस आंदोलन का समर्थन किया जैसी मेरी अपेक्षा थी। रामदेव जी ने ठीक समय पर ठीक दिशा ली।

मैं पहले भी मानता था और अब भी मानता हूँ कि भ्रष्टाचार या कालाधन स्वयं में कोई समस्या न होकर समस्या के परिणाम है। राज्य अधिकार और धन का केन्द्रीयकरण करता है जिसके कारण भ्रष्टाचार और कालाधन पैदा होता है । आप अधिकार और संपत्ति के अकेन्द्रीयकरण की चर्चा न करके भ्रष्टाचार और कालाधन को मुद्दा बना रहे हैं। मैं जानता हूँ कि इसका परिणाम नहीं निकलना है तो उसमें क्यों लगूँ । आपको ठीक लगता है तो करिये । मैं साथ नहीं। फिर भी मैंने आंदोलन रामदेव की कभी न आलोचना की है न विरोध बल्कि कभी कभी प्रशंसा ही की है।

गांधी जी ने कांग्रेस अध्यक्ष के चुनाव के समय जो निर्णय किया वह बिल्कुल ठीक था। उन्होंने स्वतंत्रता के समय भी पटेल की तुलना में नेहरू को चुना। मेरी समझ में यह निर्णय ठीक था। सुभाष स्वतंत्रता के बाद आंशिक तानाशाही के समर्थक थे और पटेल सीमित मताधिकार के। नेहरू जी बालिग मताधिकार के पक्ष में थे। मैं आज भी केन्द्रीयकरण का विरोधी हूँ इसलिये सुभाष की अपेक्षा गांधी और पटेल की अपेक्षा नेहरू को पसंद करता हूँ। यदि उस समय नेहरू की अपेक्षा लोहिया और लोहिया की अपेक्षा जय प्रकाश आगे आते तो शायद कुछ अच्छा होता। पटेल सर्वश्रेष्ठ गृह मंत्री की योग्यता तो रखते थे किन्तु प्रधानमंत्री के मामले में मेरी सोच कुछ अलग है।

## उत्तरार्ध

### निवेदन

### प्रिय बंधु

हम आप लम्बे समय से ज्ञान यज्ञ परिवार के साथ जुड़कर ज्ञान क्रान्ति अभियान बढ़ाते रहे हैं। नौ अप्रैल को अन्ना जी के आंदोलन के समय स्वतंत्रता के बाद पहली बार सरकार जनशक्ति के समक्ष झुकी। यह एक ऐतिहासिक घटना थी जिसने तंत्र और लोक के बीच असंतुलन में लोक को मजबूत करने की शुरुआत की। ज्ञान यज्ञ परिवार ने उस अवसर पर घाषित किया था कि हम उक्त ऐतिहासिक घटना की अर्ध वार्षिकी के अवसर पर नौ अक्टूबर को दीप प्रज्वलित करके घटना की याद करेंगे। हम नौ अक्टूबर तथा दस अक्टूबर को दो दिनों तक एक साथ बैठकर भविष्य की योजना तथा कार्यक्रमों की भी चर्चा करेंगे।

हम सात नवंबर से पचीस दिसम्बर तक भारत के सत्तर स्थानों पर बैठकें करके एक संपर्क यात्रा भी आयोजित करेंगे। इसकी रूप रेखा भी इस बैठक में बनेगी।

हम सबने अब तक समाज में लोक स्वराज्य की भूख पैदा की तथा जनमानस तैयार किया। उसी का परिणाम आज रामदेव जी अन्ना हजारे जी के आंदोलन के रूप में दिखना शुरू हुआ है। किन्तु अन्न जी का आंदोलन भी निर्णायक नहीं हो पायागा। यह अवश्य है कि इस आंदोलन ने जनशक्ति का प्रभाव स्थापित कर दिया है। हम नौ अक्टूबर को एक नये प्रस्ताव की रूपरेखा पर भी विचार करेंगे। प्रस्ताव की प्रति साथ है।

उक्त सम्मेलन दिल्ली के पास नोएडा की अग्रवाल धर्मशाला में आयोजित है। बैठक नौ अक्टूबर को नौ बजे प्रातः से शुरू होकर दस अक्टूबर पांच बजे शाम तक चलेगी। आप अपने साथियों सहित उक्त सम्मेलन में अवश्य आइये। भोजन और निवास की व्यवस्था वहाँ के कार्यकर्ता करेंगे। आप उक्त सम्मेलन में अवश्य आने की कृपा करें। अन्य साथियों को भी आने हेतु प्रेरित करें। आवश्यकतानुसार आप 9617079344 पर फोन कर सकते हैं।

## प्रस्ताव

(1) वर्तमान लोकसभा के समक्ष एक लोकसंसद हो। लोकसंसद की सदस्य संख्या, चुनाव प्रणाली तथा समय सीमा वर्तमान लोक सभा के समान हो। चुनाव भी लोकसभा के साथ हो किन्तु चुनाव दलीय आधार पर न होकर निर्दलीय आधार पर हो।

(2) लोक संसद के निम्न कार्य होंगे

(क) लोकपाल समिति का चुनाव

(ख) संसद द्वारा प्रस्तावित संविधान संशोधन पर निर्णय

(ग) सांसद, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश, मंत्री या राष्ट्रपति के वेतन भत्ते संबंधी प्रस्ताव पर विचार और निर्णय

(घ) किसी सांसद के विरुद्ध उसके निर्वाचन क्षेत्र के अंतर्गत सरपंचों के बहुमत से प्रस्तावित अविश्वास प्रस्ताव पर विचार और निर्णय

(च) लोकपाल समिति के भ्रष्टाचार के विरुद्ध शिकायत का निर्णय

(छ) व्यक्ति, परिवार, ग्राम सभा, जिला सभा, प्रदेश, सरकार तथा केन्द्र सरकार के आपसी संबंधों पर विचार और निर्णय

(3) लोक सांसद को कोई वेतन भत्ता नहीं होगा। बैठक के समय भत्ता प्राप्त होगा।

(4) लोक संसद का कोई कार्यालय या स्टाफ नहीं होगा। लोकपाल समिति का कार्यालय तथा स्टाफ ही पर्याप्त रहेगा।

(5) यदि किसी प्रस्ताव पर लोकसंसद तथा लोक सभा के बीच अंतिम रूप से टकराव होता है तो उसका निर्णय जनमत संग्रह से होगा।

बजरंग मुनि

9617079344

कार्यालय सचिव

9302811720 अभ्युदय द्विवेदी

## यात्रा विवरण

दिनांक	संयोजक
8/11	दोपहरबाद नोएडा – घनश्यामजी
9/11 पूर्व	गाजियाबाद अजय भाई पश्चात मेरठ – ओमपाल जी
10/11 पूर्व	दौराला ओमपाल जी पश्चात विजनौर – डाक्टर प्रकाश
11/11 पूर्व	पुरैनी बाजार धर्मवीर शास्त्री पश्चात नजीबाबाद – डाक्टर प्रकाश
12/11 पूर्व	..... पश्चात मुजफ्फर नगर – होतीलाल शर्मा
13/11 पूर्व	देहरादून विजय शंकर शुक्ल पश्चात हरिद्वार विजय शंकर शुक्ल
14/11 पूर्व	सहारनपुर रतिराम जी प्रधान पश्चात अम्बाला – अर्पित अनाम
15/11 कभी भी	शिमला बलवंत यादव जी पश्चात .....
16/11 पूर्व	शेरपुर संजय भाई पश्चात ..... इशम सिंह जी
17/11 पूर्व	..... इशम सिंह जी पश्चात ..... रणवीर शर्मा जी
18/11 पूर्व	..... अशोक गाडिया जी पश्चात ..... गाडिया जी

19/11	पूर्व	.....	गाडिया जी	पश्चात	.....	गाडिया जी
20/11	पूर्व	जयपुर	ध्रुव सत्य अग्रवाल	पश्चात	.....	.....
23/11	पूर्व	पिलखुआ	छवील सिंह सिसोदिया	पश्चात	बनबोई	नरेन्द्र जी
24/11	पूर्व	धनारी	रिषिपाल जी	पश्चात	बरेली – राज नारायण जी	
25/11	पूर्व	बरेली	राजनारायण जी	पश्चात	सहावर – इस्लाम अहमद फारुकी	
26/11	पूर्व	फतेहपुर	राम भूषण सिंह जी	पश्चात	जहानाबाद – वंशलाल सचान	
27/11	पूर्व	बाराबंकी	ओम प्रकाश प्रकाश	पश्चात	रुदौली	कैलाश नारायण तिवारी
28/11	पूर्व	गोंडा	चित्रान्गद श्रीवास्तव	पश्चात	.....	.....
29/11	पूर्व	गोरखपुर	ओंकार तिवारी जी	पश्चात	कप्तानगंज – उमाशंकर यादव	
2/12		.....	.....	.....	डालटनगंज – नवल तुलस्यान	
3/12	पूर्व	बोकारो	कृष्णलाल रूंगटा	पश्चात	धनबाद	जय किशन जी
4/12		.....	.....	.....	खगडिया	श्री टी पी जालान
5/12		.....	.....	.....	नालंदा	आर्य जी
6/12		.....	.....	.....	आरा	आचार्य धर्मेंद्र
7/12	पूर्व	भोरे	महेश भाई	पश्चात	देवरिया	चंद्रिका जी
8/12	पूर्व	बिल्थरा	चंद्र प्रकाश राय	पश्चात	मउ	कृष्णदेव जी उमा पति जी
9/12	पूर्व	गाजीपुर	रामचंद्र जी दुबे	पश्चात	वाराणसी	अशोक त्रिपाठी जी
10/12		.....	.....	.....	चोपन	देवेन्द्र शास्त्री जी
11/12	पूर्व	ओबरा	नरेन्द्र नीरव जी	.....	.....	.....
13/12	पूर्व	रायपुर	अजीम भाई	पश्चात	रायपुर – वर्मा जी	
14/12	पूर्व	भानुप्रतापपुर	वैधराज आहुजा	पश्चात	भानुप्रताप पुर	वैधराज आहुजा
15/12	पूर्व	.....	.....	.....	दुर्ग	डा० कोठारी
16/12	पूर्व	गोन्दिया	मधुसूदन जी	पश्चात	वर्धा	सदाविजय आर्य
18/12	पूर्व	इंदौर	जसवत राय जी	पश्चात	इन्दौर	राजेन्द्र तिवारी भारतीय
19/12	पूर्व	उज्जैन	.....	.....	भोपाल	अशोक राजवैध
20/12	पूर्व	सागर	डा० प्रभु	पश्चात	छतरपुर	जे०पी० गुप्ता
21/12	पूर्व	रीवा	दुर्गेश जी	पश्चात	मनगवा	अभ्युदय जी
22/12	पूर्व	सीधी	श्रुतिवंतु जी	पश्चात	बुढार	अभ्युदय जी
23/12	पूर्व	अनूपपुर	मुन्नी बाई	पश्चात	अनूपपुर	सीताराम शर्मा
24/12	पूर्व	जशपुर	कृपाशंकर सिंह जी	पश्चात	सीतापुर	खुशीराम जी
25/12		रामानुजगंज	.....	.....	.....	.....

नोट- पिछल अंक से सहावर और बरेली की तारीखो मे बदलाव हुआ है।

## गीत

आज खड़ा सम्पूर्ण देश के आगे यहाँ सवाल है।

ज्ञान यज्ञ ऐसे में लेकर, निकला आज मशाल है।।

राजनीति में जहर घुला है, टूट रही हैं दीवारें।

मन्दिर उगल रहे हैं शोले, खंजर गढ़ती मीनारें।

कब्बे मोती के अधिकारी, चुगता रेल मराल है।

ज्ञान यज्ञ ऐसे में लेकर, .....।।

अपराधी कर रहे फ़ैसला, टूट रहा कानून यहाँ।

देश भक्त के हाथों होता, मानवता का खून यहाँ।

गुण्डे उछल रहे हैं भाई, चोर यहां खुशहाल है।

ज्ञान यज्ञ ऐसे में लेकर, .....।।

खतरे में है आज शराफत, नेता दंगे करवाते।

मुल्ला पण्डित के झगड़े में लोगों के घर जल जाते।

षड़यन्त्रों से आज हिल रही, संसद की दीवार है।

ज्ञान यज्ञ ऐसे में लेकर, .....।।

शोषक भ्रष्टाचारी ही, इस युग में नाम कमाता है।

जो अबला का शील लूटता, वही राम बन जाता है।

तोड़ रहा है जन-जीवन को, चंदा पर हड़ताल है।

ज्ञान यज्ञ ऐसे में लेकर, .....।।

गुण्डे है हर ओर सुरक्षित, सज्जन आंसू पीते है।

आज वोट की राजनीति में यहां, मुरारी जाल हो।

ज्ञान यज्ञ ऐसे में लेकर, .....।।

ज्ञान यज्ञ, अपराध मुक्त, जीवन का सुन्दर सपना है।

जो मानवता को जीवन दे, राज धर्म वह अपना है।



ज्ञान यज्ञ इस अन्धकार में, अव्यस्था का काल है।  
ज्ञान यज्ञ ऐसे में लेकर, .....।।